

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 192]

नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 21 अप्रैल 2026 — वैशाख 1, शक 1948

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21 अप्रैल 2026

अधिसूचना

क्रमांक ESTB/12819/2025/23.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक एवं सांख्यिकी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 8 के उप-नियम (1) के खण्ड (च) का लोप किया जाए।

नियम 9 के उप-नियम (7) का लोप किया जाए।

नियम 13 के उप-नियम (1) में, अंक एवं शब्द " 2 (दो)" के स्थान पर, अंक "3" प्रतिस्थापित किया जाए।

नियम 20 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"20.परिबीक्षा.- (1) सेवा में सीधे भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति 03 वर्ष की अवधि के लिए परिबीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।
(2) सेवा में पदोन्नति द्वारा पदस्थ किया गया प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए स्थानापन्न हैसियत से नियुक्त किया जाएगा।"

अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 4 एवं 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"4	उप संचालक/जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी	34	प्रथम श्रेणी (राजपत्रित)	लेवल-13
5.	सहायक संचालक, योजना एवं सांख्यिकी	69	द्वितीय श्रेणी (राजपत्रित)	लेवल-12"

अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"6	सहायक संचालक (प्रशासन)	1	द्वितीय श्रेणी (राजपत्रित)	लेवल-12"

अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 2, 4 एवं 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"2.	अपर संचालक	1	-	100%	-	-
4.	उप संचालक/जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी	34	-	100%	-	-
5.	सहायक संचालक, योजना एवं सांख्यिकी	69	50%	50%	-	-"

अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"6.	सहायक संचालक (प्रशासन)	1	-	100%	-	सहायक संचालक योजना एवं सांख्यिकी के पदोन्नति हेतु कुल पदों में से 01 पद परिवर्तित किया जाएगा।"
-----	------------------------	---	---	------	---	--

अनुसूची-तीन के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"अनुसूची तीन
(नियम 8 देखिए)

स.क्र.	सेवा/पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक योग्यता	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	सहायक संचालक, योजना एवं सांख्यिकी	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी एक विषय अर्थात् अर्थशास्त्र/सांख्यिकी/वाणिज्य/गणित/कम्प्यूटर अनुप्रयोग में कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी ब्रांच में प्रथम श्रेणी के साथ इंजीनियरिंग की उपाधि।	-"

अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"5.	निज सहायक	सहायक संचालक (प्रशासन)	05 वर्ष	-तदैव-	-"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भुवनेश यादव, सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 21st April 2026

NOTIFICATION

No. ESTB/12819/2025/23.— In Exercise of the powers conferred by the provision to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh State Economics and Statistical (Gazetted) Services Recruitment Rule, 2013, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

Clause (f) of sub-rule (1) of rule 8 shall be omitted.

Sub-rule (7) of rule 9 shall be omitted

In sub-rule (1) of rule 13, for the figure and word "2 (two)", the figure "3" shall be substituted.

For rule 20, the following shall be substituted, namely:-

"20. Probation.- (1) Every person recruited directly to the service shall be appointed on probation for a period of 3 years.

(2) Every person posted by promotion to the service shall be appointed in officiating capacity for a period of 2 years."

For serial number 4 and 5 and entries relating thereto of Schedule-I, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"4.	Deputy Director/District Planning and Statistics officer	34	Class-I (Gazetted)	Level-13
5.	Assistant Director, Planning and Statistics	69	Class-II (Gazetted)	Level-12"

After serial number 5 and entries relating thereto of Schedule-I, the following shall be added, namely:-

"6.	Assistant Director (Administration)	1	Class-II (Gazetted)	Level-12"
-----	-------------------------------------	---	---------------------	-----------

For serial number 2, 4 and 5 and entries relating thereto of Schedule-II, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"2.	Additional Director	1	--	100%	--	--
4.	Deputy Director/District Planning and Statistics officer	34	--	100%	--	--
5.	Assistant Director, Planning and Statistics	69	50%	50%	--	--"

After serial number 5 and entries relating thereto of Schedule-II, the following shall be added, namely:-

"6.	Assistant Director (Administration)	1	--	100%	--	One post has been changed from total post for Promotion of Assistant director Planning and Statistics"
-----	--	---	----	------	----	--

For Schedule- III, the following shall be substituted, namely:-

SCHEDULE-III
(See Rule 8)

"S.no.	Name of Service/ Post	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed Educational qualification	remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Assistant Director Planning and Statistics	21 Year	30 Year	Post Graduation in one of the subject via, Economics/Statistics / Commerce /Mathematics/Computer application with at least 55% marks form any recognized University. Or Engineering Degree in any branch with first division from any recognized University.	--"

After serial number 4 and entries relating thereto of Schedule-IV, the following shall be added, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"5.	Personal Assistant	Assistant Director (Administration)	05 Years	--do--	--"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
BHUVANESH YADAV, Secretary.